



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13052022-235752
CG-DL-E-13052022-235752

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2104]
No. 2104]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 13, 2022/वैशाख 23, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, MAY 13, 2022/VAISAKHA 23, 1944

वित्त मंत्रालय

अधिसूचना

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

नई दिल्ली, 12 मई, 2022

का. आ. 2213(अ).—राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) की धारा 6 की उप-धारा (1) के खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री मनोज कुमार मीना के स्थान पर डॉ. . जे. रविशंकर, सचिव, आवासीय विभाग, कर्नाटक सरकार को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक, राष्ट्रीय आवास बैंक के निदेशक मंडल में निदेशक के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 24/17/2010-आईएफ-II]

ललित कुमार. आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th May, 2022

S.O. 2213(E).—In exercise of the powers conferred by Clause (f) of Sub-Section (1) of Section 6 of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987), the Central Government hereby appoints Dr. J Ravishankar, Secretary, Housing Department, Government of Karnataka as a Director on the Board of Directors of National Housing Bank with immediate effect and until further orders *vice* Shri Manoj Kumar Meena.

[F. No.24/17/2010-IF-II]

LALIT KUMAR, Economic Adviser